झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं.1324/2022

रामजानम राम, आयु लगभग 47 वर्ष, पिता - स्वर्गीय ताबेश्वर भुइयां, अत-बेदमा, डाक घर और थाना -रामगढ़, जिला-पलामू, राज्य-झारखंड ।

... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए :श्री शिव कुमार सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए :श्री शैलेंद्र के. तिवारी, स्पेशल पी पी

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें 2020 के आरोप-पत्र संख्या.33 दिनांकित 10.09.2020 को रद्द करने की प्रार्थना की गई है और 12.10.2020 के रामगढ़ पी. एस. मामले संख्या 20 के संबंध में विद्वान एस.डी.जी.एम पलामू द्वारा पारित आदेश भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7

के तहत दंडनीय अपराध के लिए धारा किया गया है और उक्त मामला है अब विद्वान एस.डी.जी.एम, पलामू के समक्ष लंबित है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक दुकानदार होने के नाते आधे कार्ड धारकों को चावल प्रदान नहीं कर सका क्योंकि चावल का स्टॉक समाप्त हो गया था और याचिकाकर्ता अपने कार्यालय से भाग गया था।पुलिस ने मामले की जांच के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाते हुए आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला केवल संदेह के आधार पर शुरू किया गया है।याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनाया गया है।मान लीजिए कि याचिकाकर्ता कथित घटना के समय अपनी दुकान में मौजूद नहीं था।याचिकाकर्ता को सीने में दर्द और कमजोरी हो रही थी और इन कारणों से वह डाल्टनगंज में अपने इलाज के लिए गया और इलाज के बाद डॉक्टर ने उसे 20 (बीस) दिनों तक आराम करने की सलाह दी और कोविड-19 के प्रकोप के कारण याचिकाकर्ता अपनी दुकान में नहीं था।इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत किसी भी नियंत्रण आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया है और इसकी अनुपस्थिति में में, याचिकाकर्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है।इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी लोक सेवक द्वारा घोषित किसी भी आदेश की अवज्ञा का कोई आरोप नहीं है।इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनाया गया है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यह आरोप कि याचिकाकर्ता ने अपनी दुकान में मूल्य-सूची नहीं दिखाई, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध नहीं हो सकता है।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2020 की आरोप-पत्र संख्या.33 दिनांकित 10.09.2020 और 2020 के जी. आर. संख्या.1832 के अनुरूप 2020 के रामगढ़ पी. एस. केस संख्या.20 के संबंध में विद्वान एस.डी.जी.एम, पलामू द्वारा पारित

12.10.2020 दिनांकित आदेश, जो अब विद्वान एस.डी.जी.एम, पलामू के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

5. दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित होकर याचिकाकर्ता की 2020 की दिनांकित 10.09.2020 की आरोप-पत्र संख्या.33 को रद्द करने और अलग करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध करता है और 2020 के जी. आर. संख्या.1832 के अनुरूप 2020 के रामगढ़ पी. एस. केस संख्या.20 के संबंध में विद्वान एस.डी.जी.एम, पलामू द्वारा पारित दिनांकित 12.10.2020 आदेश, जो अब विद्वान एस.डी.जी.एम, पलामू के समक्ष लंबित है और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है कि धारा 3 के तहत किसी भी नियंत्रण आदेश का कोई आरोप नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उल्लंघन किया गया है, लेकिन यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोप उस अपराध का गठन करता है जिसके संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज कर दिया जाए।

6. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के सादे पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत द्वाराकिल्पित दंड केवल तभी लगाया जा सकता है जब उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत किए गए किसी आदेश का उल्लंघन हो और धारा 7 (2) के तहत दंड लगाया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 3 की उप-धारा (4) के धारा (बी) के तहत निर्देश दिया गया है, वह इसका पालन करने में विफल रहता है। निर्देश के साथ लेकिन जैसा कि राज्य की ओर से न्यायसंगत रूप से प्रस्तुत किया गया है कि रिकॉर्ड में यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत कोई नियंत्रण आदेश जिसके उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत जुर्माना लगाया जाना चाहिए और न ही याचिकाकर्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (4) (बी) के तहत दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने का कोई आरोप है।इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, भले ही याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से सच माना जाता है, फिर भी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया है।

7. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध का संबंध है, आवश्यक तत्व ये हैं किः-

(i) एक आदेश की घोषणा की गई थी,

((ii) ऐसी घोषणा एक लोक सेवक द्वारा की गई थी,

(iii) लोक सेवक को कानूनी रूप से उद्घोषणा करने का अधिकार था,

(iv) उद्घोषणा में कुछ चीजें नहीं करने या अपने कब्जे या प्रबंधन में कुछ संपत्ति के संबंध में कुछ आदेश नहीं लेने का निर्देश दिया गया था,

(v) अभियुक्त को उद्घोषणा के बारे में पता था,

(vi) अभियुक्त ने इसकी अवज्ञा की, और

(vii) ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा या दंगे या संघर्ष के लिए खतरा पैदा करने के लिए उसी कानूनी रूप से नियोजित या कोमल के कारण बाधा, झुंझलाहट, चोट या जोखिम का कारण बनती है या पैदा करती है।

8. अन्य बातों के साथ साथ कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध के लिए *अन्य बातों के साथ-साथ* अपराध का संज्ञान केवल संबंधित लोक सेवक द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर लिया जा सकता है जिसके आदेश का उल्लंघन किया गया है या कोई अन्य लोक सेवक जिसके अधीन वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है।

9. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, रिकॉर्ड में यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि किसी भी आदेश की घोषणा की गई थी और इसकी जानकारी रखने वाले याचिकाकर्ता ने इसका उल्लंघन किया है और न ही किसी संबंधित लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा किसी भी शिकायत के आधार पर कोई मामला आदेश किया गया है, जो संबंधित लोक सेवक प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है।

10. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेते हुए किसी भी लोक सेवक

की लिखित शिकायत के बिना, जिसने कोई आदेश जारी किया है या उससे वरिष्ठ किसी लोक सेवक की शिकायत के बिना, घोर अवैधता की है।

11. ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है जहां 2020 का आरोप-पत्र संख्या.33 दिनांक 10.09.2020 और 12.10.2020 दिनांकित आदेश 2020 के जी. आर. संख्या.1832 के अनुरूप 2020 के रामगढ़ पी. एस. मामले संख्या.20 के संबंध में विद्वान एस.डी.जी.एम, पलामू द्वारा पारित किया गया, जो अब विद्वान एस.डी.जी.एम, पलामू के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

12. तदनुसार, 2020 की आरोप-पत्र संख्या.33 दिनांकित 10.09.2020 और 2020 के जी. आर. संख्या.1832 के अनुरूप 2020 के रामगढ़ पी. एस. केस संख्या.20 के संबंध में विद्वान एस.डी.जी.एम, पलामू द्वारा पारित दिनांकित 12.10.2020 आदेश, जो अब विद्वान एस.डी.जी.एम, पलामू के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

13. परिणाम में, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
15 अप्रैल, 2024 को दिनांकित किया
ए. एफ. आर./अनिमेष-सरोज

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।